प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी ...बागोलिया... व भू.अ. निरिक्षक ...रायपुर... तहसील रायपुर

महोदयजी, मुताबिक प्रार्थनापत्र के ग्राम बाड़ी में खसरा 167 व 166 में नेनु पि हीरा रेगर कि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है लेकिन आधार कार्ड व बागोलिया [illegible] अन्य दस्तावेजो मे नानुराम पि हीरालाल रेगर के नाम [illegible] है अत: ग्राम बाडी मे खसरा 166, 167 मे नेनु पि हीरालाल रेगर नि बागोलिया के बजाय नानुराम पि हीरालाल रेगर नि बागोलिया किया जाना उचित है

पटवारी 10/10/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

मुताबिक, रिपोर्ट पटवारी हल्का बागोलिया की जांच अनुसार शुद्धि उचित है।

राजस्व 11-10-2021

तहसीलदार (भू.अ.) रायपुर
जिला भीलवाड़ा

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
दि. 11.10.2021

क्रमांक/प्र०गा०सं०/2021/18/2021

मुताबिक रि० पटवारी हल्का, जांच भू-अभिलेख निरीक्षक व [illegible] के अनुसार राजस्व ग्राम बाड़ी की जमाबन्दी संवत 2070 रायपुर, (वमय दस्तावेजों) के अनुसार खातेदार नेनु पुत्र हीरा रेगर खा.नं. 166, 167 शामलाती खाता [illegible] किया जावे, तदनुसार राजस्व [illegible] बजाय नानुराम पि हीरा रेगर [illegible] मे इन्द्राज किया जावे।

11-10-2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा

अनवान

नानुराम पुत्र दीपा रेगर निवासी बागोलिया तहसील रायपुर

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 मु0नं0 18 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	
दिनांक– **11-10-2021**	प्रार्थी नानुराम पुत्र दीपा रेगर निवासी बागोलिया तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम बाड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2074–2077 में शामलाती खाता संख्या 167 में किता 1 रकबा 0.02 है0, खाता संख्या 166 रकबा 0.82 है0 भूमि प्रार्थी नेनु पुत्र दीपा रेगर सा. देह के नाम पर सहखातेदार से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के नाम नानुराम पुत्र दीपा रेगर के बजाय नेनु पुत्र दीपा रेगर अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम नानुराम पुत्र दीपा रेगर है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बाड़ी के खाता संख्या 166, 167 में सहखातेदार नेनु पुत्र दीपा रेगर के बजाय नानुराम पुत्र दीपा रेगर दुरूस्ती किया जाना उचित है, की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार नेनु पुत्र दीपा रेगर के बजाय नानुराम पुत्र दीपा रेगर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 11.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:10:09 IST
Reason: SelfAttested